3108 Khasra No 40081

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2 6 MAY 2008

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008 - 2009 ++

Jagdish Singh Chauhan
B.Sc., LL.B.
Regn. No.
Civil Court

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
Regn. No.
Civil Court, Roorkee

विक्रय विलेख का वांछित विवरण

1.	विलेख-पत्र का प्रकार :-	विक्रय पत्र
2.	प्रतिफल :-	रू0 1,08,52,855-00(एक करोड आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन रूपये)
3.	बाजारी मालियत :-	रू0 1,08,52,855-00(एक करोड आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन रूपये)
4.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:-	रू0 65,23,000-00(पैंसठ लाख तेईस हजार रूपये)
5.	वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मूल्यांकन में अन्तर(Difference):-	रू0 43,29,855-00(तितालीस लाख उनतीस हजार आठ सौ पचपन रूपये)
6.	कुल वांछित स्टाम्प शुल्कः-	रू0 6,08,160-00(छः लाख आठ हजार एक सौ साठ रूपये)

For Miro Electronics Ltd. Uttranchal

Authorised Signatory

235

[illegible]

[illegible] 16 [illegible] 1999

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

28 MAY 2008

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008 - 2009 ++

7.	अनुबन्ध पत्र के समय अदा स्टाम्प शुल्कः-	रु0 6,78,400-00(छः लाख अठहत्तर हजार चार सौ रुपये
8.	वर्तमान में अदा स्टाम्प शुल्कः-	वांछित स्टाम्प शुल्क से अधिक का स्टाम्प शुल्क अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय क्रेता द्वारा अदा किया जा चुका है। फिर भी वर्तमान में रु0 250-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।
9.	स्टाम्प सीटो की संख्या :-	25 सीट
10.	क्या क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध हुआ है:-	क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विक्रीत भूमि का अनुबन्ध पत्र रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वितीय रुड़की में दिनांक 25-03-2008 को निष्पादित कर बही नम्बर 1, जिल्द 275, पृष्ठ 283 से 350 में नम्बर 1434 पर दिनांक 25 मार्च 2008 को पंजीकृत है।
11.	भूमि क्रय करने का प्रयोजनः-	विक्रीत भूमि वर्तमान कृषि भूमि है परन्तु औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।

Anuj Kumar

अनुज कुमार

पा० ल० २ल० ली०

Singh Chauhan

Regn. No

Civil Court

... Electronics Ltd. Uttaranchal

Secretary

प्रलेख न: **3,108**

SALE (IMMOVABLE) 10,852,855.00 मालियत (स्टाम्प दिया गया)

SALE AFTER AGREEMENT

रजिस्ट्रेशन फीस	पेस्टिंग शुल्क	Electronic Processing Fee	कुल योग	शब्द से
5,000.00	20.00	520.00	5,540.00	120

श्री / श्रीमती / कुमारी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लि0(द्वारा राजेश राधाकृष्णण)

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री पी0आर0नायर

निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा नं0158 रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

ने आज दिनाँक 22-Jul-08 **समय** 12:54:05PM

कार्यालय उप निबन्धक SRO Roorkee 02

में प्रस्तुत की।

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

इस लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझकर व विक्रय धन / अग्रिम धन / नगद रू0 10,852,855.00 **लेखानुसार प्राप्त करके श्री** अनुज कुमार s/o लोकेन्द्रपाल , दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुड़की,कवरवती (संरक्षिका अतुल कुमार ना0बा0)w/o लोकेन्द्रपाल , दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुड़की

ने स्वीकार किया ।

सम्पादन श्री मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लि0(द्वारा राजेश राधाकृष्णण)s/o पी0आर0नायर , मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा नं0158 रायपुर परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार

ने किया ।

जिसकी पहचान .....

श्री लोकेन्द्र पाल **पुत्र श्री** कलीराम

निवासी दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुड़की

श्री अशोक कुमार **पुत्र श्री** श्याम सिंह

निवासी 35- सिविल लाइन परगना व तहसील रुड़की

ने की ।

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

प्रतिज्ञ एवं साक्षियों के स्वहस्त अंगूठा निशानानुसार लिए गये

स0 र0

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रू.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोड संख्या 5507

2 6 MAY 2008

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008 - 2009

12. मुख्य मार्ग से दूरी:- विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की-दिल्ली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तथा गांव के मुख्य मार्ग से 1किमी0 की दूरी पर है।

13. विवरण सम्पत्ति:- भूमि खाता संख्या 11 खसरा संख्या 400 जिसका क्षेत्रफल 0.2880 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या 401 क्षेत्रफल 0.3050 हैक्टेयर कुल दो खेत कुल क्षेत्रफल 0.5930 हैक्टेयर, स्थित ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

14. वार्षिक भू-राजस्व:- रु0 23-90 जिसके आठ सौ गुणा से मालियत रु0 19,120/- बनती है।

13. स्टाम्प शुल्क हेतु स्पष्ट विवरण:- यह कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के पृष्ठ 31, क्रमांक 28 के अनुसार कृषि भूमि दर रु0 12,25,000-00 प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। परन्तु भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। जिसकी दर 40, क्रमांक 1 के अनुसार रु0 1000-00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। परन्तु विक्रीत भूमि के दो ओर चकरोड है। इसलिये 10 प्रति अतिरिक्त सम्मिलित करते हुये रु0 1100-00 प्रतिवर्गमीटर बनती है। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की मालियत 65,23,000-00(पैसठ लाख तेईस हजार रुपये) बनती है। परन्तु वास्तविक प्रतिफल रु0 1,08,52,855-00 करोड आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन रुपये) क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध पत्र के अनुसार निर्धारित वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मालियत में रु0 43,29,855-00(तितालीस

Anuj Kumar

अनुज कुमार चक्रवर्ती

For Mirc Electronics Ltd. Uttaran

Authorised Signa

225 2/7/00

167

सुरेश चन्द्र

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

26 MAY 2008

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

XX 2008 - 2009 ++

(उनतीस हजार आठ सौ पचपन रुपये) का अन्तर (Difference) है। इसलिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 74(1)/XXVII(9) Stamp/2008 issued by Uttarakhand State Government dated 25.4.2008 के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य सूची से मूल्यांकन पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क एवं अन्तर(Difference) पर 3.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क निम्न प्रकार अदा किया जा रहा है।

अ. वास्तविक प्रतिफल:- बावत — रु0 1,08,52,855-00(एक करोड़ आठ लाख हजार आठ सौ पचपन रुपये)

ब. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य सूची से मालियत:- — रु0 65,23,000-00(पैंसठ लाख तेईस हजार रुपये) पर 7 प्रतिशत की दर से रु0 4,56,610-00 (चार लाख छप्पन हजार छः सौ दस रुपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

स. अन्तर(Difference):- — रु0 43,29,855-00(तितालीस लाख उनतीस हजार आठ सौ पचपन रुपये) पर 3.5 प्रतिशत की दर से रु0 1,51,550-00(एक लाख इक्यावन हजार पांच सौ पचास रुपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranc

Authorised Signat

225 ... 27/12

सुरेश चन्द [illegible] विक्रेता

तहसील रुड़की [illegible]

[illegible] रुड़की जिला [illegible]

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

14 JUL 2008
XX 2008 - 2009 ++

ड. कुल स्टाम्प शुल्क:- रु0 6,08,160-00(छः लाख आठ हजार एक सौ साठ रुपये) अपेक्षित है। परन्तु क्रेता द्वारा अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय रु0 6,78,400-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया हुआ है। इसलिये वर्तमान में कोई स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं है। फिर भी रु0 250-00 का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

16. भूमि आवास एवं विकास शुल्क की सीमा से बाहर है।

17. विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

18. विक्रेता भूमि पट्टे की भूमि नहीं है।

19. चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं- **नहीं**

20. क्रेता उत्तराखण्ड राज्य से बाहर की कम्पनी है, जिसने भूमि क्रय करने से पूर्व उ0प्र0(उत्तराखण्ड) ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति संख्या 414भू0क्य/18(2)/2007-01(50)/2008 दिनांक 17-06-2008ई0 को प्राप्त कर ली है। छाया प्रति संलग्न है।

For Mac Electr[illegible] Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

735 75/08

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 JUL 2009

2008 - 2009

-6-

21. यह कि क्रेता विक्रीत भूमि अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रय कर रहा है तथा उद्योग स्थापित करने के बाद नियमानुसार 70 प्रतिशत नियमित रोजगार सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगो को उपलब्ध करायेगा।

22. विक्रय पत्र के बाद क्रेता विक्रीत भूमि में विशेष श्रेणी का संक्रमणीय भूमिधर बना रहेगा।

23. <u>विक्रेतागण का नाम व पता</u> :- 1-श्री अनुज कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्रपाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड। विक्रेता कृषक है। स्थाई लेखा संख्या नही है। प्रारूप 61संलग्न है। 2- मा0 अतुल कुमार (आयु 11 वर्ष) पुत्र श्री लोकेन्द्रपाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार,द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमति कंवरवती धर्मपत्नि लोकेन्द्रपाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड। विक्रेता कृषक है। स्थाई लेखा संख्या नही है। प्रारूप 61संलग्न है।

24- पुष्टिकर्ता का नाम व पता:- श्रीमति कंवरवती धर्मपत्नि श्री लोकेन्द्रपाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

25. <u>क्रेता-कम्पनी का नाम व पता</u>:- मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णण, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

Anuj Kumar

अनुज कुमार   कंवरवती

For Mirc Electronics Ltd., Uttaranchal

Authorised Signat...

735

12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रू.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 JUL 2008

खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, कम्पनी का स्थाई लेखा संख्या **AAACM8055A** है।।

विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 21-07-2008 को स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार में (1) **श्री अनुज कुमार** पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) तथा **(2) मा० अतुल कुमार (आयु 11 वर्ष) पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल** निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक **संरक्षिका श्रीमती कंवरवती** धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी, परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिसको इस विलेख में विक्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

-----विक्रेतागण

एवं

श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी, परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिसको इस विलेख में पुष्टिकर्ता कहकर सम्बोधित किया गया है)।

-----पुष्टिकर्ता

Anuj kumar

अतुल कुमार कंवरवती

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

735 ... 23/08

18 ...

... रुड़की ...

रुड़की जिला

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

ने

मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाऊस, डी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णण, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (जिनको इस विलेख में क्रेता-कम्पनी कहकर सम्बोधित किया गया है) **के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया गया।**

----- क्रेतागण

जैसा कि ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अर्न्तगत कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी के व्यवस्था से आच्छादित हो गया, उक्त अधिनियम की धारा-27 (1) के अर्न्तगत विधिवत राजस्व अभिलेखों का निर्माण हुआ तथा धारा 27 (2) के अर्न्तगत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियां सत्य व ठीक तथा प्रमाणित मानी जावेंगी।

और जैसा कि श्री आशा राम पुत्र श्री छोटू इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के नियम 97 के अर्न्तगत श्री आशा राम पुत्र श्री छोटू का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

235

12

गवाही

रुड़की जिला

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा और उनका पुरातन तथा खसरा संख्या-752(मि0) खसरा संख्या-768/2 (मि0), खसरा संख्या-769/1 (मि0), खसरा संख्या-770(मि0), खसरा संख्या-772/1(मि0) अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-400 कि जो इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति के नाम से पहचाने गये तथा पुरातन खसरा संख्या-768/2(मि0), खसरा संख्या-772/1(मि0), खसरा संख्या-772/2(मि0) अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-401 कि जो इस विलेख की सूची-ख में वर्णित से नाम से पहचाने गये।

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम अभिलेखित था। इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति फसली वर्ष 1400-1405 मे श्री देव पाल सिंह पुत्र श्री आशा राम के नाम अंकित हुआ तथा इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति श्री सतीश कुमार पुत्र श्री आशाराम के अंकित हुआ।

और जैसा कि श्री देव पाल सिंह पुत्र श्री आशाराम ने इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति विक्रेतागण **मास्टर अनुज कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल** निवासी ग्राम कुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड तथा मा0 **अतुल कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल** निवासी ग्राम कुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 28-04-2000 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

235

10/- ... रुपये

रुड़की जिला हरिद्वार

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-10-

संख्या-1, जिल्द संख्या-13 के पृष्ठ संख्या- 338 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1 जिल्द संख्या-777 के पृष्ठ संख्या-179 से 182 पर प्रपत्र संख्या-1193 पर दिनांक 28-04-2000 को पंजीकृत है। फसली वर्ष 1406 से 1411 में विक्रेतागण में श्री अनुज कुमार इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति क्रय करते समय अल्पवयस्क था और वर्तमान में व्यस्यक हो गया है और वर्तमान विक्रय विलेख पर स्वयं हस्ताक्षर कर रहे है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर विक्रेतागण इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी हो गये तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत अभिलेखित है।

और जैसा कि श्री सतीश कुमार पुत्र श्री आशाराम ने इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति विक्रेतागण मास्टर अनुज कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड तथा श्री अतुल कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 02-07-1999 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही संख्या-1, जिल्द संख्या-13 के पृष्ठ संख्या-167 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1, जिल्द संख्या-150 के पृष्ठ संख्या-65 से 68 पर प्रपत्र संख्या-2172 पर दिनांक 02-07-1999 को पंजीकृत है। फसली वर्ष 1406 से 1411 में विक्रेतागण में श्री अनुज कुमार इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति क्रय करते समय अल्पवयस्क था और वर्तमान में व्यस्यक हो गया है और वर्तमान विक्रय विलेख पर स्वयं हस्ताक्षर कर रहे है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर विक्रेतागण इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी हो गये तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत अभिलेखित है।

Anuj kumar

अतुल कुमार कंवरवती

235 ... 21/7/09

हस्ताक्षर

रुड़की जिला

भारतीय गैर न्यायिक

सत्यमेव जयते

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

19 JUL 2009

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी ने इस विलेख की सूची-'क' व 'ख' में वर्णित सम्पत्ति को क्रय करने हेतु श्री राजेश राधा कृष्णन, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है तथा उनके पक्ष में प्रस्ताव दिनांक 27-12-2007 पारित कर रखा है।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति में पुष्टिकर्ता श्रीमती कंचनवती, विक्रेतागण पुत्रों की एकमात्र माता है तथा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका प्रारम्भ से रही है तथा विक्रेता में मा0 अतुल कुमार की अभी संरक्षिका चली आ रही है। पुष्टिकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मा0 अतुल कुमार का संरक्षक नही है। वर्तमान विक्रय विलेख अल्पव्यस्यक के हित में तथा लाभार्थ एवं विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अल्प व्यस्क के उज्जवल भविष्य हेतु उसकी प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंचनवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार के माध्यम से किया जा रहा है। विक्रेतागण यह भी वचन देते है कि वह अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति से नही है और विक्रेतागण का स्वामित्व स्पष्ट व पवित्र है।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति में पुष्टिकर्ता श्रीमती कंचनवती, विक्रेतागण पुत्रों की एकमात्र माता है। तथा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका तथा परिवार की वरिष्ठ सदस्य प्रारम्भ से रही है और विक्रेतागण संयुक्त रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में निवास करते चले आ रहे है, तथा विक्रेता में मा0 अतुल कुमार की अभी भी संरक्षिका चली आ रही है। पुष्टिकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मा0 अतुल कुमार का संरक्षक नहीं है। इस प्रकार सम्पत्ति को विक्रीत किये जाने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नही है। इस सन्दर्भ में विक्रेता को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पारित निर्णय दिनांक 27-10-1998, अशोक कुमार विपरीत श्री रामेश्वर नाथ, द्वितीय अपील संख्या 1156, वर्ष 1976(1999)(17) एल0सी0डी0 पृष्ठ संख्या 301 तथा 1984 रेवेन्यू डिसिजन, पृष्ठ संख्या 1, माया शंकर विपरीत डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कन्सोलिडेशन तथा 1996 ए0आई0आर सुप्रीम कोर्ट विकलो

Anuj Kumar

अतुल कुमार नाबालिग

For Miro Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

235 27/2021
152

रुड़की

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

पृष्ठ संख्या 899, श्री नारायण बल एवं अन्य विपरीत श्रीधर सुतर एवं अन्य पर निर्भर रहने का परामर्श दिया गया है। वर्तमान विक्रय विलेख अल्पव्यस्यक के हित में तथा लाभार्थ एवं विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अल्प व्यस्क के उज्जवल भविष्य हेतु उसकी प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमति कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार के माध्यम से किया जा रहा है।

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नहीं है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार, अधिभार, बन्धन, धरोहर व गिरवी तथा ऋण नहीं है। यह सम्पत्ति किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेतागण को इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति विक्रीत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति को **अंकन 1,08,52,855/-** रुपये (एक करोड़ आठ लाख बावन हजार **आठ सौ पचपन रुपये मात्र**) की धनराशि में क्रय करने को तैयार है और विक्रेतागण इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति को उपरोक्त धनराशि में विक्रीत करने को तैयार है।

अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

(1) यह कि मैं उपरोक्त विक्रेतागण (1) **श्री अनुज कुमार** पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) तथा (2) **मा0 अतुल कुमार (आयु 11 वर्ष)** पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार **द्वारा अपनी** माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका **श्रीमती कंवरवती** धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी, परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति

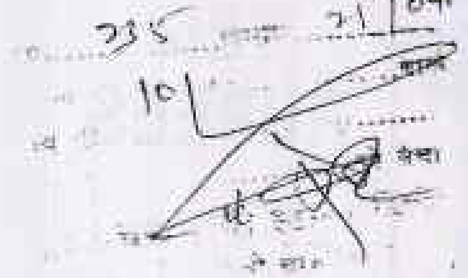

जिला

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

1 JUL 2008

को क्रेता-कम्पनी **मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाऊस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) **मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णण** पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को **अंकन 1,08,52,855/- रूपये (एक करोड़ आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन रूपये मात्र)** में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते है तथा सम्पत्ति पर स्वामी के रूप में क्रेता-कम्पनी महोदय को आरूढ़ करते हैं। सम्पत्ति का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेता-कम्पनी को स्थल पर सौंप दिया है तथा सम्पत्ति पर आरूढ़ कर दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि **अंकन 1,08,52,855/- रूपये (एक करोड़ आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन रूपये मात्र)** विक्रेतागण ने क्रेता-कम्पनी से निम्नानुसार प्राप्त कर लिये हैं :-

क- अंकन 13,56,700/- रूपये (तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ रूपये मात्र) बजरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 000693 दिनांक 19-03-2008, वास्ते एच0डी0एफ0सी0 रुड़की, जिला हरिद्वार, क्रेता अनुज कुमार ने अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय प्राप्त कर लिये थे।

ख- अंकन 13,56,700/- रूपये (तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ रूपये मात्र) बजरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 000694 दिनांक 19-03-2008, वास्ते एच0डी0एफ0सी0 रुड़की, जिला हरिद्वार, क्रेता अतुल कुमार की ओर से माता एवं संरक्षिका श्रीमति कंवरवती ने अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय प्राप्त कर लिये थे।

ग- विक्रेता अनुज कुमार ने अंकन 40,69,728/- रूपये (अंकन चालीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ अट्ठाईस मात्र) बजरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 000932 दिनांक 21-07-200, वास्ते एच0डी0एफ0सी0 बैंक रुडकी, प्राप्त कर लिये है।

Anuj Kumar कंवरवती

अतुल कुमार

235 .... 2/7/04.

10/

स्टाम्प रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की जिला हरिद्वार